न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान

आई.ए.एस.

अपील संख्या 182/2020

बजरंगलाल पुत्र सुरजाराम, जाति जाट निवासी दोरादास, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)

–– अपीलान्ट

बनाम

1. मुगांराम पुत्र सुरजाराम, जाति जाट निवासी दोरादास, तहसील व जिला झुंझुनू।
2. हरफुल पुत्र सुरजाराम, जाति जाट निवासी दोरादास, तहसील व जिला झुंझुनू।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील बखिलाफ आदेश तहसीलदार, झुंझुनूं आदेश दिनांक 07.06.2018 न्याय आपके द्वार वर्ष 2018 प्रार्थना पत्र धारा 53/2/3 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत आपसी रजामंदी व समझोते से खातेदारी का विभाजन कराने वाके ग्राम दोरासर तहसील व जिला झुंझुनू

––

उपस्थित :–

1. श्री कंचनसिंह चौधरी, एडवोकेट, अपीलांट की ओर से
2. श्री शिनारायणसिंह, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 2 की ओर से
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 4 की ओर से

आदेश

दिनांक 12.04.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 07.06.2018 के विरूद्व मय प्रार्थना दफा 5 मि0अ0 के प्रस्तुत की गई है। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप [illegible] अपीलान्ट के अनुसार धारा 53/2/3 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] से खातेदारी का विभाजन कराने के सम्बन्ध में सबसे पहले सभी [illegible] सहमति राजमंदी व [illegible] [illegible] आवश्यक है परन्तु अपीलान्ट को उक्त आवेदन प[illegible]स्तुत करने की कोई [illegible] नहीं दी गई है और न ही अपीलान्ट की सहमति रही है। आपसी सहमति के आधार पर खाता विभाजन कराने के लिए पक्षकारान का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सक्षम अधिकारी के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

हस्ताक्षर किऐ जाने आवश्यक है और व्यक्तिगत उपस्थित व हस्ताक्षर के आधार पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है परन्तु अपीलान्ट न तो स्वयं उपस्थित रहा है और न ही हस्ताक्षर किये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके साजसी रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके तथा खाता विभाजन सहमति पत्र जिस स्टाम्प पर प्रस्तुत किया गया है उस पर भी अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर किये है। क्योंकि अपीलान्ट स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं था। उक्त आवेदन पत्र में जिस प्रकार से रास्ता का विभाजन किया गया है वह भी गलत व अपीलान्ट की बिना जानकारी व सहमति के विभाजन प्रस्ताव के आधार पर कायम किया गया बताया है। दिनांक 14.08.2020 को पटवार हल्का व गिरदावर हल्का मय पुलिस जाप्ता मौके पर पहूंच कर जबरन अपीलान्ट के खेत के उत्तरी सींव के सहारे – सहारे खडे हरे पेड़ मकान के उतर की तरफ टिन सेड का छप्पर व छड़िया व ढोरों की बाड का जेसीबी मशीन से उखाड़ कर फैक दिया और अपीलान्ट के कब्जे शुदा जमीन में जबरन रास्ता कायम कर दिया गया। जिसके लिए अपीलान्ट ने प्रशासन को बार – बार पुछने पर भी कोई सन्तोषजनक जबाब नहीं दिया गया है। फिर अपीलान्ट द्वारा अपना वकील नियुक्त कर दिनांक 14.08.2020 की कार्यवाही के बाबत नकल प्राप्त कर जानकारी चाही। तो नकल मिलने पर अपीलान्ट को आदेश दिनांक 07.06.2018 की जानकारी हुई है और साथ ही यह भी जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन करवाया है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 196/20 अ.धारा 420, 467, 468, 471 आई.पी.सी. में पुलिस थाना सदर झुंझुनू में रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 व 2 व अन्य के खिलाफ दर्ज करवाई है, जो जेर अनुंसधान है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 07.06.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों के अनुवर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट बजरंग के फर्जी हस्ताक्षर कर राजस्व कैम्प में खाता विभाजन करवाया गया है और उसकी पालना मे नामान्तरकरण भरा गया है। फर्जी हस्ताक्षरों के क्रम मे अपीलान्ट द्वारा एफ0एस0एल जांच भी करवाई गई है और एफ0आई0आर0 भी दर्ज करवाई गई है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि मे कोई रास्ता नही है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 07.06.2018 को निरस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 2 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 07.06.2018 को अनुबन्ध पेश कर खाता विभाजन करवाया गया है और उसकी पालना मे नामान्तरकरण भरा गया है। अपीलान्ट द्वारा दर्ज करवाई गई एफ0आई0आर0 मे एफ.आर. लग चुकी है। सहमति से खाता विभाजन हुआ है। अतः फर्जी हस्ताक्षर नही माने जा सकते। अपील अन्दर मियाद भी नही है। बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट ने नजीर ए0आई0आर0 सुप्रीम कोर्ट पेज सं0 2276 व ए0आई0आर0 1999 राज0 उच्च न्याया... सं0 216 पेश की। अपील अपीलान्ट सारहीन है अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:24 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का खण्डन किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है वह अपील की तारीख मे ही नही आता है और न ही अपील अन्दर मियाद है। अतः अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर एवं सारहीन है जो खारीज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा खातेदार बजरंगलाल, मुंगाराम, हरफुल पुत्रगण सुरजाराम जाति जाट निवासी दोरासर द्वारा सहमति से विभाजन करने हेतु आवेदन करने पर दिनांक 07.06.2018 को खातेदारों का विभाजन किया है। प्रकरण के अहम तथ्य इस प्रकार से है यथा :–

1. प्रकरण में ग्राम दोरासर स्थित भूमि खसरा नम्बर 321 व 322 का खातेदार बजरंगलाल, मुंगाराम व हरफूल पुत्रगण सुरजाराम जाति जाट द्वारा दिनांक 07.06.2018 को न्याय आपके द्वार वर्ष 2018 कैम्प में आपसी सहमती से उक्त भूमि का बंटवारा कर लिया था। अपीलान्ट का तर्क है कि उक्त विभाजन के आवेदन पर अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर किये जाकर विभाजन किया गया है। जिसकी बाबत अपीलान्ट द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 0196/2020 भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दर्ज करवाई है। उक्त एफ.आई.आर की अंतिम रिपोर्ट वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें तत्कालिन सरपंच ने अपने बयान में प्रमाणित किया है कि उक्त विभाजन के आवेदन पर अपीलान्ट ने हस्ताक्षर किये है, एफ.आर. लगादी। साथ ही उक्त आवेदन पर तहसीलदार, सरपंच, आई.एल.आर., पटवारी हल्का ने भी अपने – अपने हस्ताक्षर किये है।
2. प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा किये गये उक्त विभाजन में न तो विवाद खातेदारी के रकबे का है तथा न ही विवाद कब्जे काश्त को लेकर है। इस प्रकरण तथा अपील संख्या 181/2020 से साफ है कि मूल विवाद रास्ते की भूमि को लेकर है। क्योंकि उक्त विभाजन 14.02.2018 में हुआ जिसका नामान्तकरण 614 दिनांक 14.08.2018 को तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में अमल भी कर दिया गया। जब रिकार्ड के अनुसार दो वर्ष पूर्व ही विभाजन हो चुका है और अब दो वर्ष बाद न कब्जे को लेकर विवाद है ओर न ही रकबे को लेकर तथा इस समयावधि में रास्ते को लेकर भी विवाद नही रहा है। इससे साफ है कि अपीलान्ट द्वारा अब विभाजन में तय किये गये रास्ते की भूमि पर अवरोद्ध उत्पन्न किया है। जिसका निर्णय सम्बंधित पत्रावली में किया जाना है। क्योकिं विभाजन के बाद से अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट 1 व 2 अपनी – अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है।
3. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/04/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:24 IST
Reason: SelfAttested